

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 769/2019

- 1 गुरसेवक सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 फतेह सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

- 1 नक्षत्र सिंह पुत्र गागड़ सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 गुरदीप कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 सुखदीप कौर पुत्री नक्षत्र सिंह पत्नी सुखराज सिंह जाति जट सिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 किरणदीप कौर पुत्री नक्षत्र सिंह पत्नी हरदीप सिंह जाति जट सिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 5 गुरपिन्द्र कौर पुत्री नक्षत्र सिंह पत्नी गुलाब सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग, राकेश कुमार सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुहई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:- (क) चक 2 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 30/20 प.न. 79/120 मु.न. 33 कि.न. 4 में 0.228 है. नहरी 0.025 है. गै.मु. रासता, कि.न. 7,14, 17 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी मय गै.मु. रासता आराजी एवं चक 3 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 11/24 प.न. 80/120 मु.न. 34 कि.न. 9, 10 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी आराजी एवं चक 3 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 12/25 प.न. 82/117 मु.न. 13 कि.न. 16 में 0.228 है. नहरी 0.025 है. गै.मु. रासता, कि.न. 24 में 0.126 है. नहरी कुल 0.379 है. नहरी आराजी एवं चक 23 के एस डी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 28/23 प.न. 78/106 मु.न. 61 कि.न. 6 में 0.253 है. नहरी कुल 0.253 है. नहरी आराजी सभी चकों व खातों की कुल 1.012 है. +0.506 है. +0.379 है. +0.253 है. कुल 2.150 है. नहरी मय गै.मु. आराजी का वादी संख्या 1 गुरसेवक सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
(ख) चक 22 के एस डी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 46/47 प.न. 81/108 मु.न. 25 कि.न. 10, 11, 20 में 0.759 है. नहरी, प.न. 81/109 मु.न. 36 कि.




(Signature)
सादुलशहर

न. 3, 4 में 0.506 है. नहरी कुल खाता 1.265 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 2 फतेह सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
(ग)चक 22 के एस डी जमाबंदी समवत 2069-2072 खाता संख्या 87/88 में दर्ज कुल खाता 24.035 है. नहरी मय गे.मु. रासता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.886 है. आराजी का वादी संख्या 2 फतेह सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

एव वादीगण के हक हिस्सा की हद तक उक्त खातो से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.11.19 को जारी किया गया।




19.11.19
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

